

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.



मि०न० - 157 / 2022

अनवान : -

1. प्रदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
2. कुलदीपसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
4. सुशीला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबडी जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री रामचंद्र सीवर प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 9-9-22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 2 एएमएस के खाता सं० 24/17 के मु० न० 55 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 11 ता 13, 19 व 20 कुल 2.6690 है० जिसमें रो नहरी 2.5560 है०, गै० मु० खाला 0.1130 है०, में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.890 है०, व इसी प्रकार रोही मौजा चक 4 एएमएस के खाता सं० 23/17 के मु० न० 37 के किला न० 11/2, 12, 19 ता 22, मु० न० 38 के किला न० 25/2, मु० न० 39 के किला न० 5, मु० न० 40 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 कुल 2.4920 है० जिसमें से नहरी 2.4420 है०, गै० मु० खाला 0.0500 है०, में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम से 831/2492 हिस्सा अर्थात् 0.831 है०, व रोही मौजा चक 7 एएमएस के खाता सं० 23/13 के मु० न० 1 के किला न० 2 ता 4, 7 ता 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 मु० न० 4 के किला न० 2, 3, 8, 9 कुल 3.3530 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.117 है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआ करती थी। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1, 2, 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। व प्रतिवादी सं० 3, 5, 6 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

साक्ष्य वादी में वादी प्रदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिरामें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा बाद वादी डीकी किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 एएमएस के खाता सं० 24/17 के मु० न० 55 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 11 ता 13, 19 व 20 कुल 2.6690है० जिसमें से नहरी 2.5560है०, गै मु० खाला 0.1130है०, में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा अर्थात 0.890है०, व इसी प्रकार रोही मौजा चक 4 एएमएस के खाता सं० 23/17 के मु० न० 37 के किला न० 11/2, 12, 19 ता 22, मु० न० 38 के किला न० 25/2, मु० न० 39 के किला न० 5, मु० न० 40 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 कुल 2.4920है० जिसमें से नहरी 2.4420है०, गै० मु० खाला 0.0500है०, में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम से 831/2492 हिस्सा अर्थात 0.831है०, व रोही मौजा चक 7 एएमएस के खाता सं० 23/13 के मु० न० 1 के किला न० 2 ता 4, 7 ता 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 मु० न० 4 के किला न० 2, 3, 8, 9 कुल 3.3530है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.117है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार बाद भूमि में वादी प्रदीप कुमार 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं० 2 कुलदीप सिंह व प्रतिवादी सं० 3 सरोज को संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। अतः बाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


अतः बाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एएमएस के खाता सं० 24/17 के मु० न० 55 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 11 ता 13, 19 व 20 कुल 2.6690है० जिसमें से नहरी 2.5560है०, गै मु० खाला 0.1130है०, में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा अर्थात 0.890है०, व इसी प्रकार रोही मौजा चक 4 एएमएस के खाता सं० 23/17 के मु० न० 37 के किला न० 11/2, 12, 19 ता 22, मु० न० 38 के किला न० 25/2, मु० न० 39 के किला न० 5, मु० न० 40 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 कुल 2.4920है० जिसमें से नहरी 2.4420है०, गै० मु० खाला 0.0500है०, में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम से 831/2492 हिस्सा अर्थात 0.831है०, व रोही मौजा चक 7 एएमएस

प्रमुख अधिकारी (राजस्व)
भाबरा (जिला-हनुमानगढ़)

के खाता सं० 23/13 के मु० न० 1 के किला न० 2 ता 4, 7 ता 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 मु० न० 4 के किला न० 2, 3, 8, 9 कुल 3.3530 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.117 है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से तन्हा प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश अकेले के बजाय वादी प्रदीप कुमार 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं० 2 कुलदीप सिंह व प्रतिवादी सं० 3 सरोज को संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकारघोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...09-9-22... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में




(शक्तंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 157/2022

अनवान :-

1. प्रदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम


1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
2. कुलदीपसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
4. सुशीला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबडी जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के सामक्ष वकील वादी श्री भानूप्रताप बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एएमएस के खाता सं० 24/17 के मु० न० 55 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 11 ता 13, 19 व 20 कुल 2.6690 है० जिसमें से नहरी 2.5560 है०, गै मु० खाला 0.1130 है०, में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा अर्थात 0.890 है०, व इसी प्रकार रोही मौजा चक 4 एएमएस के खाता सं० 23/17 के मु० न० 37 के किला न० 11/2, 12, 19 ता 22, मु० न० 38 के किला न० 25/2, मु० न० 39 के किला न० 5, मु० न० 40 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 कुल 2.4920 है० जिसमें से नहरी 2.4420 है०, गै० मु० खाला 0.0500 है०, में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम से 831/2492 हिस्सा अर्थात 0.831 है०, व रोही मौजा चक 7 एएमएस के खाता सं० 23/13 के मु० न० 1 के किला न० 2 ता 4, 7 ता 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 मु० न० 4 के किला न० 2, 3, 8, 9 कुल 3.3530 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.117 है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में रो तन्हा प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश अकेले के बजाय वादी प्रदीप कुमार 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं० 2 कुलदीप सिंह व प्रतिवादी सं० 3 सरोज को संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकारघोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...०९.०९.२२... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से




(शकुंतला चौधरी) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)